(18) (18)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2067/पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.05.2015 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 194/अपील/12-13.

झुल्लर बाई पत्नी परसराम पवार
निवासी ग्राम खेड़ी सावरीगढ़
तह. व जिला बैतूल, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

फुस्सया वल्द तोवरया
निवासी ग्राम खेड़ी सावरीगढ़
तह. व जिला बैतूल, म.प्र. .....अनावेदक

श्री प्रकाश दुबे, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/9/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 28.05.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि शिकायतकर्ता फुस्या पवार निवासी खेड़ी सांवलीगढ़ तहसील जिला बैतूल के द्वारा जन शिकायत निवारण विभाग में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम अख्तवाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 46/2 पर उसकी पुत्री झुल्लरबाई जोजे परसराम का नाम

दर्ज करा लिये जाने तथा खेती किये जाने पर आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर कलेक्टर, बैतूल के द्वारा आवेदन पत्र पर कार्यवाही किये जाने नायब तहसीलदार, बैतूल की ओर भेजा गया, जिस पर नायब तहसीलदार द्वारा जांचोपरांत अनावेदक शिकायतकर्ता का नाम दर्ज किया गया तथा पटवारी प्रतिवेदन एवं पंचनामा के आधार पर संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रकरण क्र. 16/अ-70/11-12 कायम कर कब्जा सौंपे जाने के आदेश दिनांक 01.12.2012 दिये गये। नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदिका झुल्लरबाई द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बैतूल के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30.03.2013 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। आयुक्त द्वारा दिनांक 28.05.2015 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अनावेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत आवेदन पत्र दिनांक 27.12.2011 जिसमें कहीं भी उल्लेखित नहीं है कि प्रश्नाधीन भूमि पर किस प्रकार बिल तारीख को किस रीति से बेजा कब्जा अपीलार्थी या परसराम द्वारा किया गया। धारा 250 में स्पष्ट प्रावधान है कि किस रीति से किसके द्वारा किस दिनांक को बेजा कब्जा किया गया। आवेदन में ऐसा कोई भी वर्णन नहीं है, जिससे यह स्पष्ट है कि बक्खर चलाकर या ट्रैक्टर चलाकर अमुख व्यक्ति द्वारा बेजा कब्जा किया गया है।

(2) इस प्रकरण में पथम दृष्टया ही प्रकरण बेरूमियाद है। दो वर्ष से अधिक में पेश किया गया, जो प्रचलन पोषणीय न होने से खारिज किया जाये। इसके अलावा अवधि विधान की धारा 5 का कोई आवेदन पत्र भी तत्संबंध में नहीं किया गया। इस संबंध में स्थिति जो कि न्यायिक है और न्याय सिद्धांत के आधार पर प्रस्तुत आवेदन पद्ध बेरूमियाद होने से खारिज किये जाने योग्य है।

(3) नायब तहसीलदार व प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने आदेश में दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह दायित्व है कि मूल आवेदन उसका जवाब आयी

साक्ष्य एवं उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सूक्ष्य परीक्षण कर अपने निष्कर्ष देते हुए व उसमें साक्ष्य दस्तावेजों का हवाला देते हुए आदेश पारित किया जाना था, लेकिन अनुविभागीय अधिकारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है और एक लाईनका आदेश पारित किया है। यह भी प्रतीत होता है कि एक प्रोफॉर्मा का आदेश है इसलिये जहां नायब तहसीलदार ने गलती की है उसकी पुनरावृत्ति अनुविभागीय अधिकारी ने भी की है। इसलिए दोनों ही आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं।

(4) पूर्व में प्रश्नाधीन भूमि पर झुल्लर बाई का नाम दर्ज था और फुस्या स्वयं ने ही नाम दर्ज कराया था। नायब तहसीलदार के आदेश के पेज 3 की द्वितीय कंडिका में उल्लिखित है कि आदेश दिनांक 09.03.2012 के अनुसार नाम दर्ज हुआ था, जिसे निरस्त किया गया यहां यह भी उल्लेखित है कि जिस मुकदमा नंबर का हवाला दिया, उसमें तहसीलदार द्वारा नाम दर्ज किया गया था और तहसीलदार द्वारा पारित स्वयं के आदेश को स्वयं ही निरस्त नहीं कर सकते बगैर वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति की जैसा कि धारा 50 में वर्णित है कि कोई भी आदेश नायब तहसीलदार स्वयं रिओपन पुनर्विलोकन मे कार्यवाही नहीं कर सकते।

(5) आयुक्त द्वारा मेरिट पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है व विधि विरूद्ध रूप से यह लिखित हुये कि प्रकरण सिविल न्यायालय में प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में लंबित है, इसलिए प्रकरण सुनवाई में रखने का कोई औचित्य नहीं है। उक्त आदेश, आदेश की परिभाषा में नहीं आता, त्रुटिपूर्ण आदेश है।

(6) आयुक्त द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया कि दोनों ही निम्न न्यायालय के आदेश निरस्त किया जाना था क्योंकि जिस तरह का आदेश आयुक्त द्वारा पारित किया है कि सिविल न्यायालय का जो आदेश होगा वह अंतिम रूप से मान्य होगा, को दृष्टिगत रखते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए लिखा जाना था कि सिविल न्यायालय का आदेश मान्य होगा, विरोधाभाषी आदेश है। एक तरफ कहते हैं कि सिविल न्यायालय का आदेश अंतिम रूप से मान्य होगा, दूसरी तरफ निम्न न्यायालयों के आदेश के संबंध मे कोई उल्लेख नहीं है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया जाता है।

4 प्र.क्र. 2067/पीबीआर/15

4/ अनावेदक के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायालय में प्रकरण लंबित होने से आयुक्त ने द्वितीय अपील में निर्णय न करते हुये प्रकरण नस्तीबद्ध कर दिया है, जो उचित कार्यवाही नहीं है । व्यवहार न्यायालय ने राजस्व न्यायालयों की कार्यवाही पर कोई रोक नहीं लगाई है । व्यवहार न्यायालयों का जो भी आदेश होगा वह राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी होगा, लेकिन इस स्तर पर आयुक्त को उनके समक्ष लंबित अपील का गुणदोष पर निराकरण करना चाहिये था। अतः इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण आयुक्त को गुणदोष पर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-5-2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में गुणदोष पर आदेश पारित करने हेतु आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर